

18.05.16

पहावली पेशा हुई। पहावली कोर्ट
केम्प २०३। मंडुडा में पेशा हुई। पहावली
में अलग से निर्णय अलग से लिखा
जाकर शामिल पहावली किया गया।
पहावली जमानत सुमा से दायर नम्बर
से कम भी जावे।


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा (राज.)

1 बाबूलाल पिता मांगीलाल रेगर निवासी जीरा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा

—प्रार्थी

बनाम

- 1 नाना पिता लाला चमार निवासी महुआकंला तहसील व जिला भीलवाड़ा
- 2 रामपाली पिता लाला चमार निवासी महुआकंला तहसील व जिला भीलवाड़ा
- 3 भैरू पिता लक्ष्मण चमार निवासी महुआकंला तहसील व जिला भीलवाड़ा
- 4 देबी पिता लक्ष्मण चमार निवासी महुआकंला तहसील व जिला भीलवाड़ा
- 5 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज. भू.-राज.अधि., 1956
निर्णय दिनांक 18.05.2016

प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज. भू.-राज.अधि., 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 01.03.2016 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम महुआकंला प0म0 महुआकंला तहसील भीलवाड़ा में उसके खाते की कृषि भूमि आराजी न0 418, 419 कुल किता 2 कुल रकबा 6-00 बिस्वा भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 01.03.2016 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी/अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी किये गये। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित है। अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह बात निःसंदेह है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है, वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अभिलेख में किसी प्रकार हेराफेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किए जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि तहसील भीलवाड़ा ग्राम महुआकंला प0म0 महुआकंला में स्थित प्रार्थी के खाते की कृषि आ0न0 न0 418, 419 कुल किता 2 कुल रकबा 6-00 बीघा भूमि की पत्थरगढी उक्त आराजी में फसल कट जाने के पश्चात 15 दिवस में उभयपक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी कर तामील करा उभयपक्षकारान की उपस्थिति में करा देंगे। प्रार्थी इस कार्य के लिये तहसील कार्यालय भीलवाड़ा में 600/-—रु0 बतौर खर्चा सरकारी मद में राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/- रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा, खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार भीलवाड़ा विधिवत पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट भिजावे।

आदेश आज दिनांक 18.05.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहें।

(उम्मेदसिंह राजावत)

उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा
भीलवाड़ा (राज.)

प्रतिलिपि:— तहसीलदार भीलवाड़ा को पालनार्थ प्रेषित है।

उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा (राज.)